...ायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अशोक कुमार बनाम विक्रम प्रजापत मु.नं. 172/21	
नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.02.26 को पेश हो। (sd)	
<u>03.02.2026</u> पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली कौसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (sd) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
172/2021	26.10.2021	03.02.2026

बउनवान

1. अशोक कुमार शर्मा पुत्र रतनलाल शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. सुभाष चन्द शर्मा, पुत्र रतनलाल शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।

...वादीगण / सायलान

बनाम

1. विक्रम प्रजापत पुत्र जोहरी प्रजापत, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. धर्मपाल पुत्र मलखान प्रजापत, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. मलखान पुत्र जोहरी प्रजापत, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. खुषीराम पुत्र भरती प्रजापत, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. भराती पुत्र श्री नामालुम, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. राधे पुत्र नामालुम, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. रमेष पुत्र रूपनारायण, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. भीम पुत्र रूपनारायण, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. गोविन्द पुत्र विक्रम, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. अमरसिंह पुत्र मलखान प्रजापत, निवासी नयाबासी पालौदा, तहसील मण्डावर,।

...प्रतिवादीगण / गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक वादीगण – श्री प्रीतमचन्द सैनी, श्री जगदीश प्रसाद मीना।
2. अभिभाषक प्रतिवादीगण – श्री समयसिंह, श्री विश्राम सिंह।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया गया कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की विवादित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 65 रकबा 0.66 हैक्टे. ग्राम पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण एवं उसके सहखातेदारान की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि है एवं वादीगण मौके पर काबिज काश्त हैं। वादीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। वादीगण के खेतों के उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादीगण के खेत और रिहायशी मकान हैं जिन पर प्रतिवादीगण वादीगण के बगल वाले खेत में होकर आते जाते रहे हैं लेकिन प्रतिवादीगण लडाकू एवं झगडालू प्रवृति के व्यक्ति हैं एवं इन सभी लोगों ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो आये दिन वादी की कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत पैदा कर उसे तंग व परेशान करते रहते हैं। दिनांक 04.07.2021 को वादीगण अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

भूमि की जुताई कर रहा था। तभी अचानक सभी प्रतिवादीगण अपने हाथों में लाठी डण्डे लेकर आये एवं आते ही वादीगण से ऐलानिया कहने लगे कि तुम इस खेत मे पूर्व दिशा की ओर जुताई मत करो क्योंकि यह हमारा रास्ता है और हम इसमें अब पक्का रास्ता बनवायेगें। तब वादीगण ने सभी प्रतिवादीगण से हाथ जोडकर निवेदन किया कि आप इस तरह हमारी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि मे कैसे कब्जा कर सकते हैं तो इस पर सभी प्रतिवादीगण से नाराज हो गये एवं वादीगण से ऐलानिया कहने लगे कि तुम चुपचाप अपने घर बैठ जाना वरना इसका अन्जाम बहुत बुरा होगा। यदि ऐसा हुआ तो वादीगण को जबरदस्त नुकसान हो जावेगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नही होगी। इसलिये यह वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश करना लाजिमी आया है। वाद हेतुक दिनांक 04.07.2021 को ग्राम पालोदा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी ऐलानिया धमकी से उत्पन्न हुआ है जिसमें उन्होंने उक्त विवादित जमीन मे प्रतिवादीगण द्वारा जबरन रास्ता निकालने व वादीगण की कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत पैदा करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से पैदा हुआ है। ग्राम पालोदा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में घटित हुई है, इसलिये माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि उक्त विवादित आराजी में होकर जबरन रास्ता न निकाले व वादीगण की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं ना ही किसी अन्य से करावे। वादीगण को प्रतिवादीगण से वाद खर्चा दिलाया जावे। अन्य दीगर जो बहक वादीगण पाई जावे वह भी अता फरमाई जावे।

2. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर इसको खारिज किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में सहखातेदारान का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, वादपत्र पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज होने योग्य है, वादीगण की रिहाएश करीब 36 वर्ष पुरानी है जो कि शांति पूर्वक बेरोक टोक रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण अपने लट्ठ के बल पर प्रतिवादीगण के रास्ते को बंद करना चाहते है जबकि इस रास्ते की भूमि से वादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। जब रास्ते की भूमि पर करीब 36 वर्ष पूर्व का रास्ता बना हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनांक 04.07.2021 को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गयी है। इस कारण वादीगण को कोई वादकरण पैदा नहीं होता है। प्रतिवादीगण की रिहाएश करीब 26 वर्ष पूर्व की बनी हुई है, तभी से इस विवादित रास्ते को प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी खसरा सं. 65/518 रास्ते की भूमि है जिससे वादीगण का संबंध कोई किसी प्रकार का नहीं है। जब प्रतिवादीगण का रास्ता अलग खसरा नंबर पर स्थित है तो वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद कारण के अभाव में दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादीगण लट्ठ वाले व्यक्ति है जो प्रतिवादीगण की गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर रास्ते को बंद करने पर अमादा है जबकि रास्ते की भूमि से कोई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण बेरोकटोक शांतिपूर्वक लम्बे समय से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

3. वादीगण की ओर से स्वयं वादी अशोक कुमार शर्मा द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र के समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श–पी1 की। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य वादी पर जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। विद्वान अभिभाषक वादीगण की वाद पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उन्होनें वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। वादपत्र के जरिये चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में प्रावधान है कि :

188. दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश– *(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए बाद ला सकेगा।*

(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थातः–

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हों;

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

5. विवादित आराजी की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 से स्पष्ट है कि ग्राम पालौदा, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर की भूमि खसरा सं. 65 रकबा 0.66 हैक्टे. के वादीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 13.07.2021 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 26.10.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी को तलब कर बंद किये जाने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में कार्यवाही समाप्त की जाकर फैसल शुमार किया गया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के द्वारा कार्यवाही समाप्त करवाये जाने से स्पष्ट है कि वादीगण को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से दी गयी ऐलानिया धमकी दिनांक 04.07.2021 से उत्पन्न हुआ वाद हेतुक समाप्त हो चुका है। वाद हेतुक के अभाव में दावे में कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। इसलिए यह दावा खारिज होने योग्य पाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

6. वादीगण का वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 03.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)